

नियम 17 : अध्यक्ष की प्रत्यायोजन शक्तियां

- (1) अध्यक्ष, राज्य न्यायपीठ के उपाध्यक्ष को इन नियमों द्वारा अपेक्षित कुछ कार्य सौंप सकता है या प्रत्यायोजित कर सकता है, जिनका पालन अध्यक्ष द्वारा किया जाना आवश्यक है।
 - (2) अध्यक्ष, संयुक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार या किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी को रजिस्ट्रार द्वारा किए जाने के लिए इन नियमों द्वारा अपेक्षित सभी या कुछ कार्य सौंप सकता है या उन्हें प्रत्यायोजित कर सकता है।
-